हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 मार्च, 1997

खण्ड - 1, अंक - 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 5 मार्च, 1997	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 13
घोषणाएं —	
(क) अध्यक्ष द्वारा —	
(i) सभापतियों के नामों की सूची	(1) 21
(ii) याचिका समिति	(1) 21
(ii) सदन से अनुपस्थिति की सूचना	(1) 22
(ख) सचिव द्वारा —	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1) 22
बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 23
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	(1) 26
सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करना	(1) 27
विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।	
(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 27
(ii) इंडियन ऐक्सप्रेस के संवाददाता, संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(1) 28

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 15.21 बजे हुई अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 p.m. today, the 5th March, 1997, under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

"माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जबकि राष्ट्र स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगाँठ मना रहा है। आइए, याद ताज़ा करें आज़ादी के उन दीवानों की जिन्होंने जान हथेली पर लेकर लम्बा संघर्ष किया, हंसते-हंसते जेल की यातनाएं सहीं और देश-प्रेम की बलिवेदी पर स्वयं को समर्पित किया। आइए, हम उनके समक्ष नतमस्तक हों क्योंकि उन्हीं के कारण ही आज हम स्वतन्त्रता का आनन्द ले रहे हैं।

इस वर्ष हम भारत के एक महान् सपूत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म-शती भी मना रहे हैं। नेताजी भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति की सुंदरतम प्रतिमा थे। वे एक क्रान्तिकारी नेता और दूरदर्शी थे जो कि भारत को आर्थिक रूप से मज़बूत नींव वाले राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे तथा समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। वे भारत में योजनाबद्ध विकास प्रणाली के जन्मदाताओं में अग्रणी थे क्योंकि उन्होंने ही 1938 में, जब वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभापति थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजना समिति की स्थापना की थी। मेरी सरकार, इन दोनों स्मरणोत्सवों को श्रद्धा से मना रही है तथा हरियाणा की पवित्र भूमि से भूख, गरीबी तथा मदिरापान के अभिशापों को समाप्त करने तथा हर व्यक्ति को उन्नति और विकास के सुअवसर प्रदान करने के लिए अपने आपको समर्पित करती है।

[श्री अध्यक्ष]

यह कहते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने 10 महीनों की अल्पावधि में राज्य में शांति, समृद्धि व सामाजिक सद्भाव का वातावरण बना दिया है। राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने आपको सुरक्षित अनुभव कर रहा है क्योंकि कानून और व्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। सभी प्रकार के अपराधों में कमी हुई है तथा पूरा समाज शराबियों के हुल्लड़ व आतंक से मुक्त होकर सुख की सांस ले रहा है। हरियाणा पुलिस के सभी अनुभाग अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं तथा राज्य में शान्ति व सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं।

जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मेरी सरकार ने शराबबन्दी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में मद्यनिषेध का स्पष्ट दिशा-निर्देश है, तथा मेरी सरकार ने यह साहसिक कदम 600 करोड़ रुपये सालाना राजस्व घाटे के बावजूद उठाया है। इससे राज्य के दूरगामी व विस्तृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का शुभारम्भ हुआ है। अपराधों में एकदम गिरावट आई है, सड़कों पर बस व कार दुर्घटनाएं कम हुई हैं तथा सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुधार हुआ है। जो पैसा पहले शराब की खरीद पर खर्च होता था तथा लोगों की सेहत और खुशियों को नष्ट कर रहा था, उसका अब सकारात्मक सदुपयोग जीवन स्तर को उन्नत करने में हो रहा है। मेरी सरकार ने केन्द्र-सरकार से अनुरोध किया है कि संविधान में निहित शराबबन्दी के अपने दायित्वों का पालन करने के कारण हुए राजस्व घाटे को पूरा करने में वे सहायक हों क्योंकि संविधान की अनुज्ञा की अनुपालना उनका भी दायित्व है।

मेरी सरकार द्वारा लागू शराबबन्दी कानून में, असामाजिक तत्वों जो कि गैर-कानूनी ढंग से राज्य में शराब निकालने व इसकी तस्करी का धन्धा करते हैं, के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान किया है। फिर भी यह बुराई समाज के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती। जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय "शराब मुक्त हरियाणा" समिति का गठन किया गया है, जिसमें मंत्रियों के अलावा विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। मद्यनिषेध और आबकारी का एक नया विभाग बनाया गया है। शिकायतें प्राप्त करने के लिए सभी ज़िलों में नियंत्रण-कक्ष स्थापित किए गए हैं और चलते-फिरते निरीक्षण दलों का भी गठन किया गया है, जिनमें कार्यकारी मैजिस्ट्रेट और मद्यनिषेध विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। शराब के नमूनों के शीघ्र परीक्षण करने के लिए नई प्रयोगशालाएँ खोली जा रही हैं। अपराधियों के तात्कालिक निर्णय (summary trial) के लिए विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई। मद्यनिषेध कार्य में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए एक लाभकारी योजना शुरू की गई है। शराबबन्दी के संदेश को फैलाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं। पड़ौसी राज्यों से भी इस दिशा में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया गया है। यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दिल्ली तथा राजस्थान की सरकारों ने इस सम्बन्ध में हमें सहयोग दिया है।

शराबबन्दी के कारण हुए राजस्व घाटे के बावजूद मेरी सरकार विकास चक्र की गति को और तेज़ करने के लिए दृढ़संकल्प है। 1996-97 की वार्षिक योजना को 1370 करोड़ रुपये किया गया है जो कि वर्ष 1995-96 के 1120 करोड़ रुपये के वास्तविक योजना खर्च से 22 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1997-98 का योजना परिव्यय 1575 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है जोकि चालू वर्ष के 1370 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय से 15 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ौतरी 102 करोड़ रुपये की उन स्कीमों के बिना है जो कि योजना से योजनेतर प्रकोष्ठ में डाल दी गई हैं।

यह सब इसलिए सम्भव हो पाया क्योंकि मेरी सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए कर-चोरी पर नियंत्रण व बकाया राशि की वसूली पर जोर दिया है तथा कर-संरचना को युक्तिसंगत बना कर कारगर तरीके अपनाए हैं। जनवरी, 1997 तक केन्द्रीय बिक्री-कर सहित बिक्री-कर, परिवहन तथा माल-कर तथा मनोरंजन-कर के अन्तर्गत कुल 1308 करोड़ रुपये की वसूली हुई है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 1031 करोड़ रुपये वसूल हुए थे, जो कि 26.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

माननीय सदस्यगण, जनता के जीवन तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा बिजली विशेष महत्त्व रखते हैं। इसलिए 1997-98 की योजना परिव्यय का 44.8 प्रतिशत इन क्षेत्रों के लिए रखा गया है।

गत वर्ष मई के महीने में मेरी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही रजबाहों, खालों, बड़ी ड्रेनों से गाद निकालने और इनकी समुचित सफाई का कार्यक्रम चलाया ताकि राज्य को बाढ़ विपदा से राहत मिले और सिंचाई का पानी माइनरों के अंतिम छोरों तक पहुंचे। हमारे प्रयत्नों के अच्छे परिणाम निकले हैं, अंतिम छोरों तक पानी पहुंचा है, व अधिक क्षेत्र सिंचित किया जा सका है। खरीफ़ 1996 में सिंचाई क्षेत्र, खरीफ़ 1995 की तुलना में लगभग 1,50,000 एकड़ बढ़ा है। इसी प्रकार इस वर्ष रबी में सिंचाई क्षेत्र रबी 1995-96 के मुकाबले लगभग 2,02,000 एकड़ बढ़ने की संभावना है। भारी खर्च से निर्मित उठान सिंचाई नहरों का विस्तृत निवेश वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ था। मेरी सरकार ने इन परियोजनाओं में नई जान डाली है तथा आशा है कि उठान परियोजनाओं द्वारा सिंचाई में पिछले वर्ष के मुकाबले 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। विश्व-बैंक सहायता प्राप्त जल-संसाधन समेकन परियोजना की प्रगति भी बहुत धीमी थी, इसे अब तेज़ किया गया है। इस परियोजना की संरचना में सुधार, नहर-प्रणाली का आधुनिकीकरण, हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण, नहरों और खालों का बेहतर रख-रखाव और संचालन, भूमिगत जल-निकास पॉयलट स्कीमें जैसे कार्य शामिल हैं। वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना में इस परियोजना के लिए 233.19 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। सिंचाई संरचना पर किए जा रहे इस निवेश से सिंचाई की कार्यकुशलता तथा उपभोक्ताओं को देय सेवाओं में सुधार होगा।

हथनीकुण्ड बैराज जो कि एक शताब्दी पुराने ताजेवाला हैड वर्क्स का स्थान लेगा, पर अक्तूबर, 1996 में कार्य शुरू हो गया है, जिसके 3 वर्षों में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। भाखड़ा मुख्य नहर तथा नरवाना शाखा की वहन-क्षमता बढ़ाने के कार्य में भी तेज़ी लाई गई है।

मेरी सरकार ने माइनरों व रजबाहों के निर्माण की अनेक स्कीमों को पूरा करने का कार्य शुरू किया है जो गत समय में धन की कमी के कारण उपेक्षित रहीं। ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत इस कार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक (नबार्ड) से कर्ज़ा लिया जा रहा है। 60 करोड़ रुपये की लागत से जल निकास और बाढ़-नियंत्रण की एक और परियोजना आगामी वर्षाकाल से पहले कार्यान्वित की जाएगी। राज्य को बाढ़ संकट से बचाने में यह परियोजना बहुत सहायक होगी।

राज्य के गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी ज़िलों में तथा राजस्थान के ऊपरी क्षेत्रों में जून, 1996 में वर्षा के अल्पकालिक व स्थानिक केन्द्रीकरण के कारण एक विशाल जल-प्रवाह इन क्षेत्रों में आया। रोहतक और सोनीपत ज़िलों को भी बाढ़ समस्या का सामना करना पड़ा। डीज़ल और बिजली पम्पों द्वारा शीघ्र ही इन क्षेत्रों से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। गुड़गांव और रोहतक ज़िलों के लगभग 6000 एकड़ भूमि को छोड़ कर राज्य के सभी इलाकों से रबी फसल की बुआई के लिए बाढ़ का पानी निकाल दिया गया। यह, समय पर तथा प्रभावी ढंग से जल निकास कार्यों के आयोजन तथा निष्पादन के कारण ही सम्भव हो पाया।

[श्री अध्यक्ष]

मेरी सरकार पंजाब में सतलुज यमुना योजक नहर को पूरा करने को उच्चतम प्राथमिकता देती है। इस नहर पर काम जुलाई, 1990 में रुक गया था जिससे हरियाणा प्रदेश इस जीवनदायी जल पर अपने उचित अधिकार से वंचित रहा है। विवशतावश हरियाणा को पंजाब सरकार तथा भारत सरकार को निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।

प्रधान मंत्री जी के मेवात क्षेत्र के दौरे के बाद उस क्षेत्र की भलाई के लिए 207 करोड़ रुपये की लागत वाली मेवात नहर बनाने की एक नई स्कीम बनाई गई है। इसे शीघ्र ही भारत सरकार तथा योजना आयोग को केन्द्रीय अनुमोदन व सहायता के लिए भेजा जाएगा।

गत मई के महीने में सत्ता सम्भालने के बाद मेरी सरकार ने राज्य में विद्युत-क्षेत्र को पूर्ण अस्त-व्यस्त व दुर्दशा-ग्रस्त पाया। पिछले कई वर्षों से नई बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर कोई पैसा नहीं लगाया गया था और पारेषण तथा वितरण प्रणालियां तो इस काबिल ही नहीं थीं कि अन्य प्रदेशों से आयात की गई बिजली को भी इस्तेमाल कर सकें। मेरी सरकार के सामने बिजली-क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा सुधार का बहुत कठिन काम है ताकि बिजली की बढ़ती कमी को पूंजी निवेश एवं प्रणाली के सुधार से दूर किया जा सके।

बिजली की कमी केवल हरियाणा में ही नहीं है, यह देश भर की सबसे बड़ी समस्या है। भारत सरकार सभी राज्यों में बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए कार्ययोजना बना रही है। पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों की दो बैठकें बुलाईं। इन सम्मेलनों की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में से एक, जिसका भारत सरकार द्वारा बनाए गये बिजली सम्बन्धी "सांझा न्यूनतम राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम" में भी जिक्र है, यह है कि केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग की स्थापना की जाए। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों में "राज्य विनियमन आयोग" की स्थापना करनी होगी। मेरी सरकार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में सुधार लाने पर सक्रिय विचार कर रही है जिससे बोर्ड पारेषण तथा वितरण-प्रणाली में सुधार के लिए विश्व-बैंक से 1500 करोड़ रुपये की सहायता ले सकेगा। यह बाद में के०एफ०डब्ल्यू (KFW) जर्मनी और ओ०ई०सी०एफ० (OECF) जापान इत्यादि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ जुड़ कर अन्त में 5000 करोड़ रुपये बन जाएगा।

बिजली के उत्पादन के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्र में 25-25 मैगावाट के 41 यूनिट लगाने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 14 स्थानों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। भारत सरकार ने राज्य के लिए हाल ही में 860 मैगावाट बिजली के लिए तरल ईंधन (liquid fuel) आबंटित किया है। यह कारखाने कार्य शुरू होने के 18 महीनों के अन्दर बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे। इसी प्रकार फरीदाबाद में 400 मैगावाट क्षमता की एक गैस-आधारित परियोजना राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा लगाई जाएगी जो कि काम शुरू होने के दो वर्ष में पूर्ण हो जायेगी। पानीपत ताप बिजली परियोजना में 210 मैगावाट के छठे यूनिट, जो कि संयुक्त क्षेत्र कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। पानीपत ताप बिजली घर के 1 से 4 यूनिट की सुधार एवं आधुनिकीकरण परियोजना की प्रस्तावना भी अंतिम चरण में है। यह परियोजना चरणबद्ध ढंग से काम शुरू होने के 20 मास की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी जिससे इन चारों मशीनों से मौजूदा बिजली उत्पादन 927 मिलियन यूनिट से बढ़कर 3000 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष हो जाएगा।

दूरगामी सुधारों की योजना के साथ-साथ मेरी सरकार ने हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्तमान कार्य-प्रणाली में सुधार किया है। गत खरीफ़ मौसम में उससे पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली दी गई है। वर्ष 1996-97 में राज्य में कुल उपलब्ध बिजली का 53 प्रतिशत से अधिक अंश ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। पानीपत ताप बिजली घर द्वारा अप्रैल-दिसम्बर, 1996 अवधि में पिछले वर्ष इसी अवधि में पैदा की गई 1639 लाख यूनिट की तुलना में 2134 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। पारेषण के क्षेत्र में निसिंग में 220 के०वी० का एक उपकेन्द्र, सग्गा में 132 के०वी० तथा हथीन में 66 के०वी० के उपकेन्द्र तथा अलेवा (ज़िला जीन्द), नेहला (ज़िला हिसार), सीवन गेट, कैथल और बरसत (ज़िला पानीपत) में 33 के०वी० के चार नए उपकेन्द्र चालू कर दिए गए हैं। 45 अन्य उपकेन्द्रों की वर्तमान क्षमता में भी वृद्धि की गई है।

हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हमारी तीन-चौथाई जनसंख्या गांवों में रहती है, जो मूल रूप से कृषि तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र के महत्त्व के दृष्टिगत मेरी सरकार ने कृषि उपयोगी साधनों की उपलब्धि में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। वर्ष 1995-96 में 2.90 लाख क्विंटल के मुकाबले वर्ष 1996-97 के दौरान किसानों को 3.89 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए। इस वर्ष रासायनिक उर्वरकों की खपत 7.74 लाख टन (पोषक) तक पहुँच जाने की संभावना है जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान 7.24 लाख टन (पोषक) उर्वरकों की खपत हुई थी। राज्य में खरीफ़ 1996 के दौरान 33.14 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ, इसमें 25 लाख टन चावल का उत्पादन भी शामिल है। इस वर्ष रबी फसल के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्र पूर्ववर्ती रबी फसल से 97 हज़ार हैक्टेयर ज़्यादा है।

पूर्ण आशा है कि हमारा प्रदेश वर्ष 1996-97 के लिए निश्चित 112.90 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तिलहनों में भी 9 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। भारत सरकार की सहायता से चालू वर्ष के दौरान फास्फोरस युक्त उर्वरकों पर उपदान की राशि 100 करोड़ रुपये तक पहुँच जाने की आशा है जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी।

उपलब्ध जल-संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए फव्वारा यंत्र लगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के 2154 फव्वारा यंत्रों के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान 6500 यंत्र लगाने का लक्ष्य है। राज्य में सूरजमुखी की फसल किसानों में लोकप्रिय हो गई है। अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान 50 हज़ार हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 70 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र को सूरजमुखी की खेती के अधीन लाया जाएगा।

धान, सूरजमुखी तथा सब्ज़ियों के हाइब्रिड बीजों की किस्में विकसित करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। पटौदी तथा पलवल में बीज संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव है। राज्य में कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधनों में सुधार लाने के लिए 53.74 करोड़ रुपये व्यय वाली विश्व-बैंक सहायता प्राप्त एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। पूरे विश्व के साथ जुड़ती हुई उदार अर्थ-व्यवस्था के बदलते हुए परिवेश में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यों को नई दिशा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। फूड साईंसेस, बायो-टैकनॉलोजी तथा मॉलिक्यूलर बायोलोजी नामक दो नए विभाग बनाए गये हैं। विश्वविद्यालय के खाद्य-विज्ञान में एम०एस०सी० डिग्री पाठ्यक्रम भी आरम्भ कर दिया गया है।

[श्री अध्यक्ष]

राज्य में टिशू-कल्चर और ड्रिप सिंचाई जैसी नई क्रान्तिकारी तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। टिशू-कल्चर तकनीक को गन्ना, फलों और सजावटी पौधों के लिए शुरू किया जाएगा। प्रदेश का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बायो-प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक "पौधा टिशू-कल्चर अनुसंधान एवं अनुप्रयोग केन्द्र" हिसार में 4.97 करोड़ रुपये की लागत से खोल रहा है। केन्द्र के पूरी तरह चालू हो जाने पर राज्य में पुष्प-उत्पादन और बागबानी में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा।

हरियाणा भण्डारण निगम द्वारा रिवाड़ी में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से यह निगम पलवल में कन्टेनर फ्रेट स्टेशन तथा गुड़गांव में सेटलाइट फ्रेट सिटी स्थापित करने की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहा है। सेटलाइट फ्रेट सिटी में सीमा शुल्क भुगतान सहित एयर-कार्गो के लेन-देन की व्यवस्था भी वहीं होगी।

केन्द्रीय पूल में हरियाणा 25 प्रतिशत गेहूँ तथा 11 प्रतिशत चावल देता है। राज्य द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक केन्द्रीय पूल में लगभग 11 लाख टन चावल दिया गया है जबकि गत वर्ष कुल 6.57 लाख टन चावल दिया गया था। पिछली खरीद के दौरान 20.60 लाख टन गेहूँ प्राप्त किया गया था। आने वाली खरीद के दौरान हम 30 लाख टन गेहूँ प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने और चोर-बाज़ारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार की "खुला बाज़ार विक्रय स्कीम" के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है। राज्य द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गेहूँ आटा 64 रुपये प्रति 10 किलो की अधिकतम दर पर वितरित किया जा रहा है। उपायों को कठोरतापूर्वक लागू करने के परिणामस्वरूप हरियाणा में गेहूँ और आटा उचित दामों पर उपलब्ध है।

सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 2288 मिनी बैंकों के माध्यम से 935.45 करोड़ रुपये के फसल कर्ज़ दिए गए हैं। इसी प्रकार 80 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 91.22 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के कर्ज़ भी चालू वर्ष में दिए गए हैं। भिवानी और महेन्द्रगढ़ ज़िलों में 10.88 करोड़ रुपये परिव्यय से एक नई डेयरी विकास स्कीम भी शुरू की गई है। राज्य की 10 सहकारी चीनी मिलों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाया गया है। किसानों को गन्ने की विभिन्न किस्मों के लिए 76, 78 और 80 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है।

हरियाणा में पशुपालन, उद्योग के स्तर तक पहुंच चुका है। मेरी सरकार उन्नत पशुपालन प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की ओर विशेष ध्यान दे रही है। पशु-स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए विद्यमान सभी अस्पतालों और डिस्पैंसरियों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बीमारियों के फैलने पर नज़र रखने तथा उन की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं। विशेष प्रोत्साहनों द्वारा गाय की हरियाणा नसल तथा भैंस की मुर्रा नसल के बचाव तथा उसे विकसित करने के प्रयत्न किए जाएंगे। मछली पालन के विकास को राज्य में उचित महत्त्व दिया जा रहा है। वर्ष 1997-98 के लिए इस प्रयोजनार्थ 4.63 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

कृषि क्षेत्र में विकास चाहे कितना ही हो, यह बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में विकसित किया जाए। मेरी सरकार चालू आधारभूत परियोजनाओं को पूरा कर तथा औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करते हुए उद्योग-क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सशक्त प्रयत्न कर रही है।

राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जिला गुड़गांव में मानेसर में आदर्श औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है। पलवल तथा जगाधरी के निकट मानकपुर व पानीपत में औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। गन्नौर के निकट बढ़ी ग्राम में हौज़री केन्द्र स्थापित करना भी विचाराधीन है। उद्यमियों के शानदार उत्साह के दृष्टिगत गुड़गांव में "उद्योग विहार-चरण सात" भी शुरू किया जाएगा। राज्य में अपेक्षतया पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की सहायता से भिवानी तथा नरवाना में एकीकृत संरचना विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। सट्टेबाज़ी की कुप्रवृति को रोकने तथा राज्य में अधिक राजस्व लाने के विचार से मेरी सरकार ने औद्योगिक प्लाट आबंटित करने की विधि में मूल रूप से सुधार किया है।

चालू वर्ष के दौरान राज्य में 21 बड़े एवं मझले, तथा 3870 लघु पैमाने के यूनिट लगाए गए हैं। 110 औद्योगिक उद्यमकर्त्ताओं के ज्ञापन प्रस्तुत हुए हैं, जिनसे 626.47 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा, हरियाणा राज्य के लिए 144 करोड़ रुपये के निवेश वाले, 56 विदेशी सीधे निवेश वाले या सहयोग वाले प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा हरियाणा वित्त निगम राज्य की दो वित्तीय संस्थाएँ हैं जो औद्योगिक यूनिटों को वित्तीय सहायता देती हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम इक्विटी में भी भागीदारी करता है। वर्ष 1996-97 के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये के कर्जों की संस्वीकृति तथा 60 करोड़ रुपये के कर्जे का वितरण किये जाने की आशा है। इसी प्रकार हरियाणा वित्त निगम द्वारा कुल 155 करोड़ रुपये के कर्जे संस्वीकृत तथा लगभग 140 करोड़ रुपये के कर्जे वितरित करने की आशा है।

इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सम्बंधित औद्योगिक इकाइयों को भविष्य का उद्योग कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने इसके उन्नयन तथा विकास के लिए मज़बूत संरचना स्थापित की है। हरियाणा इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम (हरट्रॉन) ने बाहरी सहायता से आधुनिक अनुसंधान तथा विकास सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। यह बेरोज़गार युवाओं को इलैक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों तथा अन्य संगठनों की हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है।

माननीय सदस्यगण, औद्योगिक वृद्धि और विकास के साथ-साथ मेरी सरकार पर्यावरण प्रदूषण पर नियन्त्रण और परिवेश संरक्षण की जरूरत के प्रति पूर्णतः सजग है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सांझे मल शोधन संयन्त्र लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार का पहला संयन्त्र औद्योगिक सम्पदा, कुण्डली में लगेगा। जींद, समालखा और अम्बाला में ऐसे ही तीन और संयन्त्र लगाये जाएंगे। यह भी निर्णय किया गया है कि राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक यूनिट प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाएं। सभी अत्यधिक प्रदूषण श्रेणी में आने वाले पुराने औद्योगिक यूनिटों को भी मल शोधन संयन्त्र लगाने के निदेश दिए जा रहे हैं। विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों का तुरत निपटान करने के लिए फरीदाबाद में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार का एक और न्यायालय हिसार में स्थापित किया जायेगा।

कृषि वानिकी और बंजर भूमि पर पौधे लगाकर परिवेश संतुलन में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यूरोपीयन यूनियन की सहायता से अगले नौ वर्ष की अवधि में 126 करोड़ रुपये की लागत

[श्री अध्यक्ष]

से यह महत्त्वाकांक्षी सामुदायिक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत गांवों की 7400 हैक्टेयर बंजर भूमि में पौधे लगाये जाएंगे, रेत के टीलों वाली 9300 हैक्टेयर भूमि को स्थिर किया जायेगा और 5300 हैक्टेयर भूमि को वाणिज्यिक पौधों की किस्मों के अन्तर्गत लाया जायेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणवासियों को अपने प्राकृतिक स्रोतों की व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण देना है। अरावली पर्वत परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 4000 हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगाये गये हैं।

बेरोजगार युवकों के लिए रोज़गार के नये अवसर जुटाने तथा उद्योगों के लिए तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूरा करने के लिए इस समय राज्य में 37 तकनीकी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिन में प्रतिवर्ष 5829 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए एक विश्व- बैंक परियोजना वर्ष 1991-92 से लागू है। विश्व-बैंक ने अब इस परियोजना की लागत 80.88 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 121 करोड़ रुपये कर दी है। सरकार ने 9 वीं योजना के दौरान चार नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। लोहारू में भी एक पॉलिटैक्निक शीघ्र स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार 170 प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न लाभकारी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। अगले वित्त वर्ष में दस नई व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी प्रस्ताव है।

राज्य के सर्वोमुखी सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ मेरी सरकार, अपने नागरिकों को जीवन यापन के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा समूचे देश में आयोजित शहरी विकास के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) 26 शहरी सम्पदाएं विकसित कर चुका है। भविष्य की जरूरतों को सामने रखते हुए विस्तार की स्कीमें बनाई जा रही हैं। 'हुडा' प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित की गई शहरी सम्पदाओं में सामुदायिक केन्द्रों, खुली नाट्यशालाओं और खेलकूद-प्रांगणों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है।

मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर रही है। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 82 नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए वार्षिक योजना, 1997-98 के लिए 6.30 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 1997-98 के लिए शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सम्बन्धी सुधार स्कीमों के तहत 2.16 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान 75 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 1997-98 के दौरान छोटे तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास सम्बन्धी स्कीम के अन्तर्गत 2.16 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों को विकसित करने पर ज़ोर दिया गया है ताकि बड़े शहरों में बढ़ती हुई आबादी के दबाव में कमी आये। उन नगरपालिकाओं, जिन की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, के लिए बजट प्रावधान को बढ़ा दिया गया है तथा उन्हें सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की गई है।

मेरी सरकार सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा देश के उन चुने हुए राज्यों में से एक है जहां सभी गांवों और कस्बों में पेयजल सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु बढ़ती जनसंख्या के कारण जल प्रदाय परियोजनाओं पर भार बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप उनमें जल पूर्ति में वृद्धि करना अपेक्षित हो गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 650 गांवों में जल पूर्ति बढ़ाई जा रही है। इनमें से 550 गांवों में जल की मात्रा 40

लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक, और 100 गांवों में 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक बढ़ाई जाएगी। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले 11 गांवों में 110 लिटर जल प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्ध करवाने के लिए एक अन्य स्कीम शुरू की गई है। इन गांवों में उचित जल और मल निकास पद्धतियों की भी धीरे-धीरे व्यवस्था की जाएगी।

राज्य के सभी 80 नगरों में नलों द्वारा पेयजल उपलब्ध किया जाता है। इस प्रणाली में और सुधार लाने के प्रयत्न किये जा रहे है। चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी जल पूर्ति के लिये 10.20 करोड़ रुपये का उपबन्ध है और 11 नगरों में आवर्धन कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 4.10 करोड़ रुपये के उपबन्ध से 5 कस्बों में मल निकास कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। राज्य के 40 कस्बों में केवल 20 से 25 प्रतिशत तक ही मल निकास प्रणाली विद्यमान है। धीरे-धीरे इन सुविधाओं में सुधार लाने और उन्हें बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस समय किसी भी कस्बे में उचित मल शोधन संयन्त्र नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कस्बों के चारों ओर गन्दगी रहती है। राज्य ने भारत सरकार की सहायता से छः महत्त्वपूर्ण नगरों अर्थात् यमुनानगर-जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद में 211.56 करोड़ रुपये की लागत से मल शोधन संयन्त्र लगाने के लिये एक परियोजना शुरू की है। मेरी सरकार द्वारा 'यमुना कार्य योजना' नामक इस परियोजना की कार्यगति तेज़ की गई है जिसके परिणामस्वरूप, यह बृहद् परियोजना 14 मास में सम्पूर्ण हो जायेगी। चालू वित्त वर्ष के अन्त तक सभी नगरों में कम से कम एक मल शोधन संयन्त्र चालू हो जायेगा। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। इसके अतिरिक्त 20.64 करोड़ रुपये की कुल लागत से मल शोधन संयन्त्र लगाने के लिये छः अन्य नगरों अर्थात् छछरौली, इंद्री, रादौर, पलवल, गोहाना और घरौंडा को इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है। यमुना कार्य योजना पर होने वाला खर्च 50:50 के आधार पर राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

हरियाणा राज्य ने द्रुतगति जनमार्ग प्रणाली विकसित करने को सदैव उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य में शहरों, कस्बों व ग्रामों को जोड़ती हुई सड़कों का निर्माण तो हुआ है परन्तु अब हम विद्यमान सड़कों की दशा सुधारने की ओर अपना ध्यान पूरी तरह केन्द्रित कर रहे हैं। दिन प्रति दिन बढ़ते यातायात तथा वाहनों के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह शीघ्र करना अनिवार्य हो गया है। एक महत्वाकांक्षी स्टेट हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए विचाराधीन है। इस के अन्तर्गत 900 कि0मी० राज्य राजमार्ग को सुधारा जायेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर राज्य मार्ग राष्ट्रीय मार्ग नं०-1 का एक विकल्प भी बन जायेगा जिससे न केवल यातायात की भीड़ में कमी होगी बल्कि राज्य के आंतरिक क्षेत्रों का भी और अधिक विकास होगा। देश के सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-1 को चार मार्गी बनाने के काम को पूरा करने की गति को और तेज़ किया गया है।

मेरी सरकार, कमज़ोर वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति तथा वृद्ध नागरिकों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा तथा आत्मसम्मान प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देती है। अगले वर्ष से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन स्कीमों से लगभग 10 लाख व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की पिछली बकाया राशि की अदायगी की

[श्री अध्यक्ष]

है तथा यह सुनिश्चत कर रही है कि पेंशन की अदायगी प्रत्येक मास की 7 तारीख तक अवश्य कर दी जाए। इससे पूर्व पेंशन की अदायगी में कई महीनों की देरी हो जाती थी।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के शैक्षिक तथा सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनेक स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके लिए चालू वर्ष के दौरान 25.83 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तथा वर्ष 1997-98 के दौरान इसके लिए लगभग 27.22 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का 14,500 परिवारों को सहायता करने का प्रस्ताव है, जिनको लगभग 35.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम, का वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न आय-अर्जन स्कीमों के अन्तर्गत 3900 पिछड़ी श्रेणी के परिवारों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस समय 113 खण्डों में क्रियान्वित किए जा रहे समन्वित बाल-विकास कार्यक्रम को इस वर्ष 116 खण्डों तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे राज्य की शत-प्रतिशत ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगी। वर्ष 1996-97 के दौरान 11.77 लाख लाभानुभोगियों को पोषाहार प्रदान करने पर लगभग 22.37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्ष 1997-98 के दौरान "अपनी बेटी अपना धन" स्कीम को जारी रखा जाएगा और इस के द्वारा 60 हज़ार बालिकाओं को लाभ होगा।

महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी ज़िलों के 70 गांवों में लागू संयुक्त राष्ट्र की संस्था यू०एन०एफ०पी०ए० से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त "इंटेग्रेटिड विमेन्स इम्पावरमैंट एण्ड डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट" की दूसरे वर्ष में बहुत अच्छी प्रगति हुई है।

किसी भी आधुनिक कल्याणकारी समाज में कुशल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अति-आवश्यक है। मेरी सरकार इसे उच्च महत्त्व प्रदान करती रही है। मेरी सरकार ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। दवाइयों की आपूर्ति के लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई। नए उपकरणों को खरीदा गया है और पुराने उपकरणों की मरम्मत करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। मेरी सरकार ने पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दन्त चिकित्सा आरम्भ करने का निर्णय लिया है। 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनता को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

गत वर्ष मलेरिया तथा डेंगू बुखार से राज्य के गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों के हिस्से इन बीमारियों के प्रकोप में आ गये। इस व्याधि से तत्काल छुटकारा पाने हेतु मेवात में रोगाणु नियंत्रण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने छः करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई। 160 धुआं देने वाली मशीनें तथा 10 धुआं देने वाली मशीनों से युक्त वाहन तथा दो ब्लड स्प्रेटर खरीदे गए। फिरोज़पुर झिरका तथा नूंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्तकोष खोले गए। मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए अधिक कारगर वैकल्पिक नीति को अपनाया गया। मेवात क्षेत्र के प्रत्येक खण्ड में छः-छः रोगीवाहन भी भेजे गए। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसमें मेवात क्षेत्र के सभी विधायक तथा सांसद शामिल हैं। यह समिति समय-समय पर उचित दिशा निर्देश देगी।

विश्व-बैंक की सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना में विभाग द्वारा दिखाई गई अच्छी प्रगति के कारण 9.9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों के लिए बाल-स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 65 करोड़ रुपये की एक परियोजना भारत सरकार तथा विश्व-बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है। फरीदाबाद शहर तथा भिवानी ज़िलों के लिए दो और उप-परियोजनाएं क्रमशः 8.2 करोड़ रुपये तथा 6.25 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की गई हैं।

पंडित भगवतदयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं शल्य संस्थान, रोहतक को एक उत्कृष्ट संस्था बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। गम्भीर रूप से घायल रोगियों के लिए 200 बिस्तर वाला "ट्रामा केन्द्र" को बनाए जाने का प्रस्ताव है जिस के लिए 3.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नये उपकरण खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा अगले वर्ष के बजट में भी 10 करोड़ रुपये की राशि बढ़ा दी गई है। 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पुस्तकालय को वातानुकूलित करने, रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण करने, अन्दरूनी सड़कों के निर्माण तथा दूरभाष केन्द्रों के आधुनिकीकरण करने के लिए स्वीकृत की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत दूर न जाना पड़े। प्रारम्भिक स्तर पर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की प्रवेश प्रतिशतता बढ़ाने के लिए तथा पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए गये हैं, जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

प्राथमिक शिक्षा को और सुदृढ़ करने तथा इसमें और सुधार लाने के लिए केन्द्र चालित तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो कि वर्ष 1994-95 में ज़िला कैथल, जींद, हिसार तथा सिरसा में लागू किया गया था, को चालू वर्ष में तीन और ज़िलों गुड़गांव, भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ में भी लागू कर दिया गया है।

सरकार ने साक्षरता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है तथा इसे राज्य में पुनः गतिशील बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। करनाल को छोड़कर सभी ज़िलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है। करनाल में भी इसे चालू करने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

पंजाबी को राज्य में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है तथा पंजाबी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है। राज्य में प्रशिक्षित अध्यापकों की पर्याप्त संख्या में उपलभ्यता के लिए शिक्षा में डिप्लोमा तथा ओ०टी० पाठ्यक्रम की सीटों को क्रमशः 2180 से बढ़ाकर 3000 तथा 300 से बढ़ा कर 500 कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षा के वातावरण को सुधारने के लिए 3800 विद्यालयों के अध्यापकों की रिक्तियों को कान्ट्रैक्ट आधार पर भरने के लिए कार्यवाही की गई है। राज्य सरकार विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भी भरसक प्रयत्न कर रही है। इस मंतव्य के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षा पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना तथा निरन्तर विस्तृत मूल्यांकन पद्धति को लागू करना तथा माता-पिता को विद्यालय सम्बन्धी कार्यक्रमों इत्यादि में सम्मिलित करना है।

मेरी सरकार मेवात क्षेत्र एवं मोरनी पहाड़ियों के पिछड़े-क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति सजग है। मेवात क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विभिन्न विकास स्कीमें कार्यान्वित की

[श्री अध्यक्ष]

जा रही हैं। मेवात विकास बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की वित्तीय सहायता से "मेवात क्षेत्र विकास परियोजना" को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना की सात वर्षों की अवधि (1995-2002) के दौरान इस पर 70 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) में मेवात विकास बोर्ड की चल रही स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 77.60 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव है।

वर्ष 1997-98 के दौरान अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला ज़िलों के पहाड़ी एवं अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। ये उपबन्ध विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे उपबंधों के अतिरिक्त है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ये संस्थाएं सामाजिक व आर्थिक प्रगति की वाहिनी बन सकें, इस लक्ष्य को रखते हुए उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर करने के लिए कदम उठाये गये हैं। सरकार इन संस्थाओं को कार्य शक्तियां प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। आयोजना का विकेन्द्रीकरण करने के लिए ज़िला आयोजना समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इनसे सम्बद्ध राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है। इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में अतिरिक्त उपायुक्तों के काम काज का मूल्यांकन करते समय सम्बंधित ज़िला परिषद् के अध्यक्ष की टिप्पणी ध्यान में रखी जाये।

चंडीगढ़ में हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कार्य 4.5 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है जिसके डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है। इससे पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को राज्य की राजधानी में आवास की सुविधा मिलेगी।

वर्ष 1996-97 के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोज़गार के अवसर जुटाने के उद्देश्य से 10.64 करोड़ रुपये की लागत से 19,000 से अधिक लाभानुभोगियों को सहायता दी गयी। इन लाभानुभोगियों में 9000 अनुसूचित जातियों के थे तथा 10,000 महिलाएं थीं। जवाहर रोज़गार योजना एवं रोज़गार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत 27.67 करोड़ रुपये की लागत पर 27.01 लाख कार्य-दिवस जुटाये गये। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 6400 गरीब परिवारों को मकान दिये गये। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि रोज़गार आश्वासन स्कीम हाल ही में 32 नये खण्डों में बढ़ा दी गयी है और वर्ष 1997-98 के दौरान सम्पूर्ण राज्य को शामिल किये जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार 1.2.1997 से "गंगा कल्याण योजना" शुरू की गयी है ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को व्यक्तिगत या मिलजुलकर कूओं तथा नलकूपों के लिए सहायता दी जा सके।

समाज से मैला उठाने की प्रथा को बिल्कुल समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च वाले शौचालय बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान 10 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे 50,000 शौचालय तैयार किये जायेंगे।

हरियाणा राज्य परिवहन ने कर्मचारी संख्या, वाहन-निर्माण, परिचालन कुशलता तथा मितव्ययता के लिए ख्याति अर्जित की है। इस समय हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3894 बसें हैं जो लगभग 1800 मार्गों पर चल रही हैं और इनमें करीब 17.52 लाख यात्री हर रोज़ यात्रा करते हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान पुरानी बसों के बदले 501 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्ष 1997-98 के दौरान 567 नई बसों की खरीद का प्रस्ताव है। राज्य में अनधिकृत रूप से चल रही मैक्सी-कैब, जीप,

मैटाडोर आदि को नियमित करने तथा उन्हें कॉन्ट्रेक्ट पर चलाने के लिए परमिट देने का निर्णय लिया गया है। अब तक इस प्रकार के 885 परमिट दिए जा चुके हैं।

निजी परिवहन परिचालकों पर और अधिक नियन्त्रण एवं अंकुश रखने के लिए सभी छः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है और 13 दिसम्बर, 1996 से राज्य में सभी 45 उप मण्डल अधिकारियों (नागरिक) को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। आवश्यकतानुसार नये बस अड्डों का भी निर्माण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। विभाग में कुछ-एक महत्त्वपूर्ण अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। मुरथल में चालक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है जहाँ पर हरियाणा राज्य परिवहन के चालकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कण्डक्टरों के लिए भी प्रशिक्षण का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

नागरिक विमानन संरचना को मज़बूत बनाया जा रहा है। तीन विमानन क्लबों को मिला कर 'हरियाणा सिविल विमानन संस्थान'' की स्थापना करने का प्रस्ताव है। हरियाणा सरकार राज्य में आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट स्थापित करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में हैलीपैड बनाने की योजना भी बनाई जा रही है।

हरियाणा पर्यटन के 45 पर्यटन केन्द्र हैं जो प्रतिवर्ष 72 लाख पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मद्यनिषेध लागू होने के बावजूद हमारे पर्यटक स्थलों की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। इस वर्ष फरवरी मास में लगाए गए सूरजकुण्ड शिल्प मेले को देखने के लिए आए लोगों की संख्या पहले सब वर्षों से अधिक थी। कार्तिक उत्सव नाम से बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह किले में राष्ट्रीय स्तर का एक और उत्सव शुरू किया गया है जिस में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है। सरकार पर्यटन की आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। पर्यटन विभाग ने हरियाणा में होटल और अन्य पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को भी प्रोत्साहित किया है। विभाग ने लगभग 351 करोड़ रुपये के निवेश वाली 48 ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्त्वपूर्ण नीतियों व प्रोग्रामों को आप के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता की समस्याओं का समाधान करने में इन मुद्दों पर आप का योगदान अति महत्त्वपूर्ण होगा। मुझे आशा है कि आप इन पर रचनात्मक परिचर्चा करेंगे एवं आपका योगदान राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास और इस के नागरिकों के कल्याण के लिए लाभकारी होगा।

जयहिन्द!''

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के उठने के बाद और इस सैशन के शुरू होने तक हमारे कुछ साथी नेता हमारे बीच में नहीं रहे।

[श्री बंसी लाल]

डॉ० मारी चेन्ना रेड्डी, तमिलनाडु के राज्यपाल

यह सदन तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ० मारी चेन्ना रेड्डी के 2 दिसम्बर, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

डॉ० रेड्डी का जन्म 13 जनवरी, 1919 को हैदराबाद के गांव सीरपुर में हुआ। उन्होंने 5 दशकों के लम्बे समय तक राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने तत्कालीन हैदराबाद रियासत के स्वतन्त्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950-51 में वे अस्थायी संसद के सदस्य रहे। 1952 से 1957 तक डॉ० रेड्डी अपने राज्य में विधायक रहे तथा 1952 से 1956 तक खाद्य मन्त्री रहे। 1967 में वे राज्य सभा के सदस्य चुने गये तथा 1967-68 में केन्द्रीय मन्त्री बने। 1977 से 1980 तक तथा 1989-90 में डॉ० चेन्ना रेड्डी आन्ध्र प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री रहे। उन्होंने चार राज्यों के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, 1982 में पंजाब के राज्यपाल, 1992 में राजस्थान के राज्यपाल तथा 1993 से निधन तक तमिलनाडु के राज्यपाल रहे।

मध्यवर्गीय कृषक परिवार में जन्मे, डा० चेन्ना रेड्डी जन सेवा की भावना से ओतप्रोत थे। वे अपने दृढ़ मनोबल, साहस तथा संकल्प से उच्च पदों पर पहुँचे। वे तेलगु, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता होने के साथ-साथ एक योग्य चिकित्सक थे, जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से उर्दू में चिकित्सा का अध्ययन किया।

उनके निधन से देश एक महान् देश सेवक, योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री राम प्रताप गर्ग, संसद के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रताप गर्ग के 29 दिसम्बर, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 सितम्बर, 1917 को हुआ। वह एम०ए० थे। उन्होंने 1942 के "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भाग लिया। वह 1952 से 1957 तक संसद सदस्य रहे। वह 1962 से 1967 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने देश-विदेशों का दौरा किया।

उनके निधन से देश एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मास्टर बाबू सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य मास्टर बाबू सिंह के 16 दिसम्बर, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 दिसम्बर, 1922 को हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में प्रारम्भ किया। वह 1962, 1969, 1977 तथा 1980 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने विभिन्न संगठनों के अनेक पदों पर कार्य किया।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती जानकी देवी मान, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती जानकी देवी मान के 15 जनवरी, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 जुलाई, 1928 को हुआ। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया तथा वे विभिन्न संगठनों के पदों पर भी रहीं। वह 1991 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं और हरियाणा विकास पार्टी की मैम्बर थीं।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 2 दिसम्बर, 1996 को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जेहलम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में शक्तिशाली बम विस्फोट से मारे गये यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 12 दिसम्बर, 1996 को जिला कुरुक्षेत्र के पिंडारसी गांव के समीप रेलवे फाटक पर यात्री ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में मारे गये बच्चों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 19 फरवरी, 1997 को जिला करनाल के जाम्बा गांव के समीप भाखड़ा नहर की नरवाना शाखा में एक वाहन के गिर जाने से मारे गये छात्रों और एक अध्यापक के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री बंसी लाल]

डॉ० दत्ता सामन्त, प्रसिद्ध श्रमिक नेता तथा भूतपूर्व सांसद

यह सदन प्रसिद्ध श्रमिक नेता तथा भूतपूर्व सांसद डॉ० दत्ता सामन्त की 16 जनवरी, 1997 को की गई निर्मम हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म मुम्बई में हुआ। वह एक चिकित्सक थे और उन्होंने मुम्बई से एम०बी०बी०एस० की डिग्री प्राप्त की थी। वह 1967, 1972 तथा 1980 में महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1984 से 1989 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह मुम्बई के थाने-बालापुर औद्योगिक क्षेत्र के बहुत ही प्रभावशाली श्रमिक नेता थे।

उनके निधन से देश एक निडर तथा बहादुर श्रमिक नेता और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 23 फरवरी, 1997 को उड़ीसा के ज़िला मयूरभंज बरीपद के बाहरी हिस्से मधुबन में हो रहे 46वें "निगमानन्द" सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भयंकर आग और भगदड़ से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के समापन के बाद आज तक कई उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और लेबर लीडर इस संसार से चले गये हैं। इन में तमिलनाडू के पूर्व राज्यपाल श्री एम०चेन्ना रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे, कई दफा संसद सदस्य भी बने, केन्द्रीय मंत्री भी रहे तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल के पदों को भी सुशोभित किया। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े अच्छे प्रशासक थे और अपने प्रदेश में बड़े अच्छे नेता रहे। यह सदन उनके निधन पर शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से श्री राम प्रताप गर्ग मुश्तरका पंजाब में चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी रहे थे और अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। यह सदन उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उनके परिवार के सदस्यों को यह दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

इसी प्रकार, मास्टर बाबू सिंह संयुक्त पंजाब विधान सभी के सदस्य रहे। अभी पिछले दिनों उनका आकस्मिक निधन हो गया था। वे एक अच्छे लेबर लीडर भी रहे थे, एक अच्छे किसान थे। यह देश एक योग्य व्यक्ति की सेवाओं से महरूम हो गया है। यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता है।

श्रीमती जानकी देवी मान इस सदन की सदस्या रही थीं। वे भी आज इस संसार में नहीं हैं। जहां हम अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वहीं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जेहलम एक्सप्रेस में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट से मारे गए यात्रियों के असामयिक निधन पर भी हम गहरा शोक प्रकट करते हैं। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पानीपत बस स्टैण्ड पर भी बम विस्फोट हुआ था जिसमें 19 लोग घायल हुए थे उनमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी।

शायद आपके नोटिस में यह बात नहीं लाई गई होगी। मैं चाहूंगा कि उसे भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिया जाए।

श्री बंसी लाल : ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इसी तरह से 12 दिसंबर, 1996 को कुरुक्षेत्र जिले के पिंडारसी गांव के समीप यात्री ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में मारे गये बच्चों के प्रति मैं अपनी व अपनी पार्टी की ओर से दुःख व्यक्त करता हूं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों को इस असहाय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार से जिला करनाल के जाम्बा गांव में भाखड़ा नहर में एक टैम्पो के गिर जाने की वजह से 21 छात्रों की दुःखद मृत्यु हो गई थी। एक मास्टर ने अपने प्राणों का मोह त्याग कर तीन बच्चों को बचाया और उनको बचाते-बचाते उसके प्राण चले गये। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप सरकार से कहें कि उस मास्टर को मरणोपरान्त सम्मानित किया जाए। जहां यह सदन उनके प्रति दुःख व्यक्त करे वहां इस प्रकार के बहादुर कदम उठाने वाले लोगों को अच्छा सम्मान मिले ताकि उससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, दत्ता सामन्त जी बहुत मशहूर श्रमिक नेता रहे, संसद सदस्य भी रहे। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में अहम् काम किए। उनके मरने के बाद महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर अगाध स्नेह लोगों ने उन्हें प्रदान किया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार के सदस्यों को इस असहाय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

यह सदन 23 फरवरी, 1997 को उड़ीसा जिले के मयूरभंज बरीपद के बाहरी इलाके में मधुबन में एक निगभानन्द ऋषि सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भयंकर आग में मरने वाले सदस्यों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले के धोचड़ गांव में भी भयंकर बीमारी से 12 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है और दो तीन आस-पास के गांवों में भी यह बीमारी फैल रही है। इन 12 लोगों के असामयिक निधन पर भी यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पिछले सदन को खत्म हुए लगभग तीन महीने हो चुके हैं इस समय के दौरान बहुत सी हस्तियां हमारे बीच नहीं रहीं। आप जानते हैं कि इस संसार में जो आया है उसे एक दिन तो अवश्य जाना है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनकी जरूरत देश और प्रदेश को हमेशा रहती है फिर भी वे चली जाती हैं। उनके प्रति शोक प्रस्ताव की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ० चैन्ना रेड्डी बहुत ही देश भक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे देश की आजादी के लिए बहुत बार जेल गये और काफी यातनाएं सहीं। वे कई बार मंत्री रहे और दो बार आन्ध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। चार प्रदेशों के राज्यपाल रहे और जब उनका निधन हुआ

[श्री भजन लाल]

तब वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उनके निधन पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, श्री राम प्रताप गर्ग जब पंजाब हरियाणा एक था तब चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी थे। उनके निधन से भी देश को बहुत भारी क्षति हुई है। उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मास्टर बाबू सिंह संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। उनके निधन से भी देश को बहुत क्षति हुई है, उनके प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्रीमती जानकी देवी मान, इस सदन की सदस्या रहीं। वे बहुत ही समाज सेविका थीं और गरीबों के प्रति हमेशा बड़ी हमदर्दी दिखाती थीं। अपने क्षेत्र के लिए हमेशा सदन में आवाज उठाती रहीं, उनके निधन पर भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में जेहलम एक्सप्रेस में एक बम विस्फोट से मारे गये यात्रियों के प्रति मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमें इस बात के लिए प्रयत्न करने चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न होने पाये। 12 दिसम्बर, 1996 को कुरुक्षेत्र जिले में पिडांरसी रेलवे फाटक पर हुई दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह सदन 19 फरवरी, 1997 को जिला करनाल के जाम्बा गांव के समीप भाखड़ा नहर की नरवाना शाखा में एक वाहन के गिर जाने से मारे गये छात्रों और एक अध्यापक के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। जब वहां के विधायक श्री जय सिंह राणा ने मुझे टेलीफोन पर यह बात बताई तो मुझे काफी दुःख हुआ। पता नहीं उन होनहार बालकों ने आगे चलकर देश के लिए कितने अच्छे काम करने थे। उनके निधन से हमें बड़ा भारी धक्का लगा है। अध्यक्ष महोदय, डा० दत्ता सांमत, एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता और भूतपूर्व सांसद थे। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्परता दिखाई और संसद में भी उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए जोरदार आवाज उठाई। ऐसे नेता के चले जाने से इस देश को गहरा धक्का लगा है। इसी तरह से उडीसा के जिला मयूरभंज बरीपद के बाहरी हिस्से मधुबन में हो रहे 46वें 'निगमानंद" सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भयंकर आग और भगदड़ से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो शोक प्रस्ताव और रखना चाहता हूँ। एक तो श्री प्रभु राम, भूतपूर्व एम०एल०ए० जिनका 20 तारीख को निधन हो गया, उनका नाम शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वे सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, उनका नाम गलती से रह गया है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वे एक हरिजन नेता थे। उनके निधन से सबको गहरा धक्का लगा है। इसलिए उनका नाम भी शोक प्रस्तावों में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आपकी माता जी का नाम भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। वे एक समाज सेविका थीं। उनके निधन से भी इस सदन को धक्का लगा है।

श्री बंसी लाल : ठीक है। सदन आपके प्रस्ताव से सहमत है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनके अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपकी पूज्य माता जी का नाम इन शोक प्रस्तावों में गलती से जोड़ा नहीं गया था। इसलिए पूरा सदन उनके निधन के प्रति शोक प्रकट करता है। स्पीकर सर, वैसे तो वे पूरा जीवन जी कर के गईं लेकिन कुछ भी हो मां तो मां है, जिसके

संसार से उठ जाने से गहरा धक्का लगता है। उनके निधन पर हम सब और यह सदन पूरी संवेदना प्रकट करता है और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने चरणों में उनको स्थान दें। अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के राज्यपाल डा० मारी चेन्ना रेड्डी, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े नेता का स्थान रखते थे। उनके निधन से देश ने एक बड़ा राजनीतिज्ञ खो दिया है। श्री राम प्रताप गर्ग, संयुक्त पंजाब के पुराने नेता थे, उनके निधन से इस उत्तरी भारत के एक राजनेता का अंत हो गया है। मास्टर बाबू सिंह जी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य व श्रीमती जानकी देवी मान, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या थी। वे पिछले टैन्योर में इस महान सदन की सदस्या थीं, हमारे साथ बैठती थीं तथा उनकी सोच और अभिव्यक्ति में बड़ी संजीदगी थी। उनके निधन से हम सभी को व्यक्तिगत हानि हुई है। हरियाणा में महिला राजनीति से एक महत्त्वपूर्ण बहिन उठ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जेहलम एक्सप्रैस रेल गाड़ी में शक्तिशाली बम विस्फोट से मारे गये यात्रियों के परिवारों के प्रति यह सदन संवेदना प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र के पिंडारसी गांव के समीप रेलवे फाटक पर यात्री ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में मारे गये बच्चों के परिवारों के प्रति यह सदन संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, जांबा गांव के समीप भाखड़ा नहर की नरवाना शाखा में एक वाहन के गिर जाने से वे छात्र मारे गये जो आठवीं की परीक्षा देने जा रहे थे। जैसे कि चौटाला साहब ने फरमाया कि उस दुर्घटना में मास्टर जैल सिंह भी थे। वे कारसा गांव में स्कूल चलाते थे। जब वे तीन बच्चों की जान बचा कर बाहर आए और दुबारा से और बच्चों की जान बचाने के उद्देश्य से उन्होंने नहर में छलांग लगाई तो बच्चों को बचाते-बचाते उन्होंने खुद ही अपने प्राण न्यौच्छावर कर दिए। हमने राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु प्रांत के राज्यपाल महोदय द्वारा उनके नाम का अनुमोदन किया है। इसी तरह से, कारसा गांव का ही एक बच्चा सुनील जिसने दो बच्चों को बचाया जो कि आठवीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, एक विधवा जिसके दो ही बच्चे थे, एक पवन और एक जिले। पवन तो तैरना जानता था। इसलिए वह तैर कर बाहर आ गया। जब उसने देखा कि उसका दूसरा सगा भाई डूब रहा है तो उसने फिर दोबारा छलांग लगाई और वह भी उसके साथ ही शहीद हो गया। यह एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई। मैं उन बच्चों के मां बाप के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। स्पीकर साहब, डॉ० दत्ता सामन्त एक अजीब तरह के इन्सान थे। उन्होंने अपनी खुद की राजनीति की। उनका किसी राजनैतिक दल के साथ कोई संबंध नहीं रहा। वे मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ और मिल में काम करने वाले बुनकरों के साथ उठते बैठते थे और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए वे हिन्दुस्तान की संसद में चुन कर आए। स्पीकर साहब, उनकी निर्मम हत्या से गरीबों की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसी तरह से स्पीकर साहब, उड़ीसा के जिला मयूरगंज बरीपद के बाहरी हिस्से मधुबन में हो रहे 46वें 'निगमानन्द' सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भयंकर आग और भगदड़ से मरने वाले लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर मैं अपनी तरफ से बहुत गहरा शोक प्रकट करता हूं। उस आग के लगने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं। मैं उनके परिवारों के लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जैसे चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि चौधरी प्रभु राम का स्वर्गवास हो गया। वे इस सदन के सदस्य रहे थे। वे हरियाणा के एक बहुत बड़े सक्रिय नेता थे। उनका नाम भी सदन के नेता ने इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया है। स्पीकर साहब, मैं सदन के नेता से एक गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वे उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री भी रहे और अब भी वे वहां के विधायक थे। उनका भी देहान्त हो गया है इसलिए मैं सदन के नेता से गुजारिश करूंगा कि इस शोक प्रस्ताव में उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ शामिल करता हूँ। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो इस संसार में आता है उसको एक दिन संसार से जाना जरूर है लेकिन कुछेक महान हस्तियां ऐसी होती हैं जो ऐसे महान कार्य कर जाती हैं जिनका आने वाली पीढ़ियां अनुसरण करती हैं। डॉ० मारो चेन्ना रेड्डी एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुए। आरम्भ से ही उनमें राजनीति कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वे लम्बे समय तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, केन्द्रीय मंत्री रहे और चार राज्यों के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। इस प्रकार की महान आत्माएं संसार में कभी कभी आती हैं। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी सदस्य की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। इसी प्रकार से श्री रामप्रताप गर्ग, भूतपूर्व संसद सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। वे पंजाब प्रदेश के रहने वाले थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके असामयिक निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से मास्टर बाबू सिंह संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में आरम्भ किया था। वे 1962, 1969, 1977 और 1980 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे काफी लम्बे समय तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं उनके परिवार के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इस सदन से पिछले सदन की सदस्या श्रीमती जानकी देवी मान अपने पूरे इलाके में दलित वर्ग के उत्थान के कार्य किए जाने के लिए बहुत ही गंभीर रहती थीं। उनका हृदय गरीब के प्रति द्रवित हो उठता था। उन्होंने कई संगठनों से जुड़े रह कर लोगों की सेवा की। 15 जनवरी, 1997 को हुए उनके दुखद निधन पर मुझे गहरा दुख है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को यह दुख सहन करने की हिम्मत दे।

2 दिसम्बर, 1996 को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जेहलम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बम्ब विस्फोट होने से जो हृदय विदारक घटना हुई वह बहुत ही दुखदायी है। उसमें छोटे-छोटे बच्चे भी मारे गए, जिन्होंने देश का भार उठाना था। जो घटना वहां पर हुई है उसको ब्यान नहीं किया जा सकता। मैं उन बच्चों व उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

जिला करनाल के जाम्बा गांव के समीप भाखड़ा नहर की नरवाना शाखा में एक वाहन के गिर जाने से मारे गए छात्रों एक अध्यापक के दुःखद व आसमयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उस घटना में अध्यापक ने अपना जीवन हथेली पर रख कर जिस प्रकार से बच्चों को बचाया वह सराहनीय काम है, मैं उस अध्यापक के प्रति नतमस्तक हूँ। ऐसे कम ही पुरूष होते हैं जो अपने जीवन की होली खेल कर दूसरे के काम आते हैं। उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उस अध्यापक को सम्मानित किया जाएगा, वह वाकई सम्मान के काबिल है और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलना ही चाहिए।

श्री दत्ता सामंत की 16 जनवरी, 1997 को की गई निर्मम हत्या का भी सभी को दुःख है। उनके बारे में मैं यह कहूं कि वे एक इंसान ही नहीं बल्कि he was the institution in himself. उन्होंने जिस निर्भिकता और निडरता से बंबई और भारत वर्ष की लेबर इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य किए वे वाकई

ही काबिले तारीफ हैं। वे एक बड़े ही निर्भीक और निडर नेता थे। उन्होंने लेबर वर्ग के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जो अपार सेवाएं की वे कभी भुलाई नहीं जा सकतीं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

23 फरवरी, 1997 को उड़ीसा के जिला मयूरभज बरीपद के बाहरी हिस्से मधुबन में हो रहे 46वें "निगमानन्द" सम्मेलन में भयंकर आग और भगदड़ मचने से मरने वाले लोगों के प्रति भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

श्री प्रभुराम जी हमारी विधान सभा के सदस्य थे, उनके असामयिक निधन से मुझे बेहद दुख है और मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को शांति दे।

इन सभी के बारे में सारे हाउस ने जो दुख प्रकट किया है, यह भावना मैं उन परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर इन सभी आत्माओं को अपने चरणों में निवास दें।

अब मैं हाउस से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं —

(क) अध्यक्ष द्वारा -

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen :-

1. Shri Ram Bhajan Aggarwal
2. Shri Harsh Kumar
3. Shri Kapoor Chand
4. Shri Balwant Singh Mayna

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1. Shri Faqir Chand Aggarwal, Deputy Speaker — Ex-Officio Chairman

[श्री अध्यक्ष]

2. Shri Harsh Kumar Member
3. Shri Sat Narain Lathar "
4. Shri Jagbir Singh Malik "
5. Shri Azad Mohmmad "

(iii) सदन से अनुपस्थिति की सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Fax message from Shri Anand Kumar Sharma, M.L.A. that he would remain absent during the current Session of the Haryana Vidhan Sabha on medical grounds and he has also requested that he would attend the session on his recovery from the illness.

Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Shri Anand Kumar Sharma, M.L.A. to remain absent from the current Session of the Haryana Vidhan Sabha.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The leave is granted.

(ख) सचिव द्वारा -

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी।

Mr. Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

Mr. Secretary : Sir, I beg to lay a statement showing the bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in November, 1996 and have since been assented to by the Governor.

1. The Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 1996.
2. The Kurukshetra university (Amendment) Bill, 1996.
3. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1996.
4. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1996.
5. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1996.
6. The Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996.
7. The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 1996.
8. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1996.
9. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1996.
10. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1996.
11. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1996.

12. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment and Validation) Bill, 1996.

13. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1996.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 10.30 a.m. on Wednesday, the 5th March, 1997 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 a.m. and adjourn at 1.30 p.m. without question being put.

However, on Wednesday, the 5th March, 1997 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and Adjourn after the conclusion of business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that on Friday, the 21st March, 1997, Assembly shall meet at 9.30 a.m. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommended that the business on 5th March, 1997 and 6th March, 1997, from 10th March, 1997 to 14th March, 1997 and from 17th March, 1997 to 21st March, 1997 be transacted by the Sabha as under :-

The house will meet immediately half and hour after the conclusion of the Governor's Address on Wednesday, 5th March, 1997.

1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
2. Obituary References.
3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.

[श्री अध्यक्ष]

	5. Presentation of Report of the Select Committee on the Haryana Lokpal Bill, 1996. 6. Presentation of two Preliminary Reports of the Committee of Privialges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Thursday, the 6th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Non-Official Business.
Friday, the 7th March, 1997	Holiday
Saturday, the 8th March, 1997	Off Day
Sunday, the 9th March, 1997	Holiday
Monday, the 10th March, 1997 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Supplementary Estimates for the year 1996-97 and the Report of the Estimates Committee thereon. 3. Discussion on the Governor's Address.
Tuesday, the 11th March, 1997 (9.30 a.m.) (1st Sitting)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 121. 3. Resumption of discussion on the Governor's Address.
Tuesday, the 11th March, 1997 (2.00 p.m.) (2nd Sitting)	Resumption of disucssion on the Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
Wednesday, the 12th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 1997-98.
Thursday, the 13th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 14th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. General discussion on Budget Estimates for the year 1997-98.

Saturday, the 15th March, 1997	Off Day
Sunday, the 16th March, 1997	Holiday
Monday, the 17th March, 1997 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1997-98 and reply by the Finance Minister.
Tuesday, the 18th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Discussion and Voting on the Supplementary Estimates for the year 1996-97. 3. Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1997-98.
Wednesday, the 19th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 30. 3. Presentation of Reports of the Assembly Committees. 4. The Haryana Appropriation Bill, 1997 in respect of Supplementary Estimates for the year 1996-97. 5. The Haryana Appropriation Bill, 1997 in respect of Budget Estimates for the year 1997-98.
Thursday, the 20th March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Legislative Business.
Friday, the 21st March, 1997 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of Sabha sine-die. 4. Presentation of the Reports of the Assembly Committees. 5. Legislative Business. 6. Any other Business.

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

16.00 बजे **Agricultrue Minister** (Shri Karan Singh Dalal); Sir, I beg to move -

That this House agrees with the recomendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज़ पर रखे गए/पुनः रखे गये कागज़ पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to lay on the table —

Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Ordinance, 1997 (Haryana Ordinance No. 1 of 1997).

Sir, I also beg to re-lay on the table —

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 25/Const./Art. 320/Amd. (3)/96, dated the 4th April, 1996 regarding the Haryana Public Serivce Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1996 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Prohibtion, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 47/H.A. 20/73/S. 64/96, dated the 5th July, 1996 regarding the Haryana Genreal Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1996 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 100/H.A. 20/73/S. 64/96, dated the 8th November, 1996 regarding the Haryana

General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1996 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I further layon the Table —

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 106/H.A. 20/73/S. 64/96, dated the 5th December, 1996 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment Rules, 1996 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board Haryana for the year 1990-91 as required under sub-section (3) of Section 19-A of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will also lay the papers on the table of the House.

Finance Minister (Sh. Charan Dass) : Sir, I beg to lay on the Table -

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1995-96 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1995-96 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1996 No. 3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1996 No. 2 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Now, the Chairman (Deputy Speaker) of the Select Committee will present the Report of the Select Committee on the Haryana Lokpal Bill, 1996.

Shri Faqir Chand (Chairman, Select Committee on the Haryana Lokpal Bill, 1996) : Sir I beg to present the Report of the Select Committee on the Haryana Lokpal Bill, 1996.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Narpender Singh, M.L.A., a member of the Privileges Committee will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, M.L.A., Leader of the Congress Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair, i.e., Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996, and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Member, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, M.L.A., Leader of the Congress Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberaterly with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) इंडियन एक्सप्रैस के संवाददाता, संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Narpender Singh, a Member, of Privileges Committee will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor,

Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, M.L.A. containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality character and conduct of the Chair in discharge of his parilamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Member, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editior, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, M.L.A. containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

The motion was carried.

Mr Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow

* 16.13 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday the 6th March, 1997).

28802 HVS-H.G.P., Cnd.